अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

20/4/23

भंवरलाल बनाम रामप्रसाद वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 133/2023
(केकड़ी)

	श्री नौरतमल जैन एड़वोकेट भंवरलाल बनाम रामप्रसाद वगैरह (133/2023)	
18.04.2023	यह अपील श्री नौरतमल जैन एडवाकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 55/2023 मे पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
20.04.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/आवेदनकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 0.30 है. की भूमि ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकड़ी में स्थित है एवं आवेदनकर्ता की भूमि पर आवागमन का रास्ता जो कि खसरा नम्बर 737 अपीलार्थी/अप्रार्थी की भूमि पर रास्ता की जिसे अपीलार्थी/अप्रार्थी के द्वारा बन्द कर दिया है रास्ता खुलासा किया जावे, जबकि अपीलार्थी/अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 737 की भूमि में किसी प्रकार का कोई आवागमन का रास्ता ही नहीं था ना रहा एवं आज भी नहीं है, इस प्रकार धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रास्ता बंद कर दिया है को खुलासा खुलवाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार रास्ता बंद की स्थिति में धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को ही है ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम जो कि धारा 251 क की श्रेणी में ही नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01/आवेदनकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से विधि के प्रतिकूल एवं अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है, जिसे मूल अपील के निर्णय तक स्थगित किया जाना वांछित है अन्यथा आवेदनकर्ता के विधिक अधिकारों की एवं खातेदारी की कृषि भूमि के हितो की सुरक्षा किया जाना संभव नहीं होगा कारण कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में आवेदनकर्ता के खेत खसरा नम्बर 731 की भूमि पर जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है कि जिसकी रोक एवं अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किए जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को स्थगित किए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त आवेदनकर्ता के राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भंवरलाल बनाम रामप्रसाद वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 133/2023
(केकड़ी)

पक्ष में है, अप्रार्थी के विरूद्ध हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2023 को मूल अपील के निर्णय तक स्थगित किया जावें एवं अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जावें कि वह आवेदनकर्ता के खेत खसरा नम्बर 737 ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की भूमि पर कोई रास्ता नहीं बनायें जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट ने प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्तरिम स्थगन में यह आदेश दिये है कि वे आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 737 वाकै ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकड़ी की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष यह प्रार्थना–पत्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट इन्तजार में नियत है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करने पर बिना अप्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई करने का अवसर दिये ही विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने के लिए अप्रार्थी/अपीलांट को पाबंद किया है, जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि अप्रार्थी/अपीलांट प्रकरण में पूर्व में ही उपस्थित हो चुके है जिनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का निस्तारण करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को ही करना है, इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,केकड़ी के आदेश दिनांक 12.04.2023 मे आंशिक संशोधन करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 55/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 737 वाकै ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकड़ी पर उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि नया निर्माण कार्य नही करें, ना ही कोई नया रास्ता बनावे तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम का जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में विवादित आराजी का मौका देख कर, मौके पर उठाई आपत्ति का निस्तारण करते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner